



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।  
पत्रांक 2219 / 12-1 (1) दिनांक, देहरादून, अप्रैल 24 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून ।

विषय:- **Construction of Four lane Thano-Raipur motor road to Raipur Cricket stadium in district Dehradun-FP/UK/Road/10507/ 2015**

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 2752 / 1 जी- FP/UK/ ROAD/ 10507 / 2015 दिनांक 31-03-2015 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 2077 / 12-1 दिनांक 8-4-2015

महोदय,

विषयाकित प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ने अपने पत्रांक 4489 / 12-1 दिनांक 21-4-2015 द्वारा प्रस्तावक विभाग के स्तर से वन अधिकार अधिनियम से संबंधित दस्तावेज ई0डी0एस0 के माध्यम से अपलोड करवाते हुए ऑन लाईन इस कार्यालय को 21-4-2015 को प्रेषित किया गया है।

2- इस कार्यालय पत्रांक 1968 / 12-1 (1) दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विषयाकित प्रस्ताव में वांछित भूमि 1.92 हैक्टर वन भूमि पर गैर वानिकी हेतु प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से भी निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 27 मार्च 2015 को संस्तुति की गई है, विषयक दोनो अभिलेख पी0डी0एफ0 फायल में अपलोड कर निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जा रहा है।

उक्त की हार्ड प्रति पृथक से प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

संलग्नक-यथोपरि ।

( आर0के0मिश्र )

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

2219 / 12-1 (1)

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को उनके पत्रांक 4489 / 12-1 दिनांक 21-4-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

( आर0के0मिश्र )

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।





पत्रांक

1968

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

/ 12-1 (1)

दिनांक, देहरादून, मार्च

27,

2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून ।

विषय:-

जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकास खण्ड रायपुर में राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम तक चार लेन पहुँच मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.92 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की अनुमति विषयक ।

सन्दर्भ:-

FP/UK/ ROAD/ 10507 / 2015

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी ने अपने पत्रांक 4151 / 12-1 दिनांक 23-3-2015 द्वारा विषयाकित प्रस्ताव को अपने स्तर से निर्धारित चैक लिस्ट के अनुरूप परीक्षण करने की सूचना देते हुए प्रस्ताव को ऑन लाईन अपलोड किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के द्वारा परियोजना का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 13-3-2015 को करते हुए याचित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य करने हेतु संस्तुति की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी ने अवगत कराया है कि मार्ग के नव निर्माण हेतु 41 वृक्ष बाधित हो रहे हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी की संस्तुति के पश्चात निर्धारित प्रपत्र III में मय संस्तुति पदनाम एवं समुहर हस्ताक्षर के उक्त अभिलेख पी०डी०एफ० फायल में अपलोड कर प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग के स्तर से उपलब्ध करायी गई सी०डी० मूल में इस पत्र के साथ पृथक से भेजी जा रही है।

संलग्नक-सी०डी०

भवदीय

( आर०के०मिश्र )

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को उनके पत्रांक 4151 / 12-1 दिनांक 23-03-2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

( आर०के०मिश्र )

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।



**भाग-III**

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम—जनपद—देहरादून के विकास खण्ड रायपुर में राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग 0.800 कि०मी० के नव निर्माण हेतु अपेक्षित 1.92 है० वन भूमि वन ( संरक्षण ) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति विषयक ।

|               |                                                                                                                                                                                               |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| क्रमांक<br>14 | स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं ) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | नहीं                 |
| क्रमांक<br>15 | क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।                                                                                                         | सहमत हैं ।           |
| क्रमांक<br>16 | प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।                                                                                       | संस्तुति की जाती है। |

दिनांक 27 मार्च, 2015  
स्थान — देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम — ( आर०के०मिश्र )

वन संरक्षक

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून ।

यमुना वृत्त  
उत्तराखण्ड, देहरादून